

## प्रारूप -1

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,  
जिला शाखा जांजगीर-चांपा जिला न्यायालय परिसर जांजगीर (छ0ग0)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01 / 2024


जांजगीर दिनांक 14 / 06 / 2024

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर-चांपा छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर जांजगीर में कैंटिन एवं फोटो कॉपियर मशीन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://janjgir.districts.gov.in/> में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन/जारी तिथि से दिनांक 05 / 07 / 2024 तक कार्यालयीन दिवस में आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदन सचिव, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर-चांपा स्थान न्यायालय परिसर जांजगीर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट लेकर आवेदन किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	05 / 07 / 2024 समय शाम 5:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि  (केन्टीन, फोटोकॉपी दुकान हेतु)  दुकान कं0— 03 एवं 04	06 / 07 / 2024 समय शाम 5:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	सभा कक्ष, जिला न्यायालय जांजगीर

दिनांक 14 / 06 / 2024

स्थान— जांजगीर

  
अध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ  
जिला शाखा जांजगीर चांपा (छ0ग0)

## प्रारूप —2

### ANNEXURE-1 आवेदन पत्र का प्रारूप

1—	अनुमति हेतु आवेदन पत्र	—	—
(I)	कैंटीन संचालन	—	जिला न्यायालय परिसर
(II)	फोटोकॉपी मशीन संचालन सामने दुकान क्र. 03 एवं 04 ■ जो लागू न हो उसे काटें।	—	जिला न्यायालय परिसर
2—	आवेदक का नाम	—.....	—
3—	पूर्ण—पता	—.....	—
4—	पहचान पत्र (स्व प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)	—.....	—
5—	निविदा हेतु बोली की राशि	—.....	—
	(मासिक लायसेंस फीस/किराया)		
•	कृपया बोली की राशि का 25 % अग्रिम राशि के रूप में डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से “अध्यक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ जांजगीर” के नाम पर जमा करें। अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को निविदा खुलने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।		
6—	डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक क्रमांक व दिनांक—.....		
7—	जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम —.....		

**नोट:-** आवेदन को आवेदक द्वारा उवित व पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदक के साथ वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही अग्रिम राशि हेतु कंडिका 6 व 7 में उल्लेखित डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है, अपालन की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

### घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पति .....यह घोषणा

करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है, एवं मैं जिला न्यायालय परिसर कैंटीन/फोटोकॉपी संचालन नियम 2017 के सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है अथवा मेरे द्वारा उक्त नियम के किसी भी कांडिका का उल्लंघन करना पाया जाता है या नियमानुसार नहीं करना पाया जाता है, तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

### प्रारूप –3

#### अनुसंलग्न-1 ( नियम एवं शर्तें )

- 1— आमंत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त या परिवर्तित किया जा सकेगा।
- 2— निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 05/07/2024 को शाम 5:00 बजे तक है।
- 3— निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/हमदरस्त के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

पता:- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा जांजगीर-चांपा (छ0ग0) यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

- 4— सभी निविदाएँ समाचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि के शाम 5:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5— कैंटीन एवं फोटो कॉपियर मशीन के संचालन हेतु प्राप्त पृथक—पृथक निविदा को कम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् निविदा विज्ञप्ति में दिये गये तिथि/दिनांक अनुसार संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।
- 6— सभी आवेदन खोलने के पश्चात् सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जायेगा व उसे कैंटीन/फोटोकॉपी मशीन चलाने हेतु अधिकार अनुबंध के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। शेष आवेदकों के द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथा संभव 07 दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति उनसे ली जायेगी। निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम् बोली का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक—पृथक किया जायेगा।
- नोट:- फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु दुकान क्रमांक-03 एवं 04 तक के लिये पृथक—पृथक निविदा भरा जावे।
- 7— अ. जिला न्यायाधीश के पास कैंटीन को चलाने के अनुबंध को किसी भी समय कोई पूर्व सूचना दिये बिना निरस्त करने का अधिकार संरक्षित रहेगा।  
 ब. कैंटीन संचालक भी किसी भी समय 45 दिवस के पूर्व सूचना देकर अनुबंध का परित्याग कर सकता है। यह फोटोकॉपीयर मशीन संचालन में भी लागू होगा।
- 8— किसी विवाद की स्थिति में जिला न्यायाधीश के अनुमोदन पश्चात् समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 9— जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75% सात कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से संघ छत्तीसगढ़ त्रुतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर के नाम पर जमा करना

होगा, असफल रहने की दशा में आवदेनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को राजसात कर लिया जायेगा। सफल बोलीकर्ता को बोली की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही कैंटीन/फोटोकॉपी/सायकल स्टैण्ड चलाने हेतु अधिकृत किया जायेगा। संघ के अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त राशि को संघ के खाता में जमा करना होगा।

- 10— कैंटीन में विक्रय की जाने वाली वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो और यथासंभव बाजार मूल्य से कम रहे। खाने योग्य डिब्बा बंद व पैकेट सामग्री यथासंभव M.R.P. से कम दर पर विक्रय की जाये। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सामग्री M.R.P. से अधिक दर पर विक्रय नहीं की जायेगी। खाद्य पदार्थों के संबंध में स्वच्छता के मानकों को पालन करने की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी। कैंटीन संचालक को कैंटीन स्वच्छता व साफ-सफाई का पर्याप्त ध्यान रखना आवश्यक है।
- 11— कैंटीन संचालक को अपने कर्मचारियों को साफ वर्दी उपलब्ध कराना होगा।
- 12— कैंटीन संचालक के द्वारा विद्युत बिल, पानी का बिल व अन्य मेन्टेनेंस हेतु देय राशि अदा करना होगा। यह फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।
- 13— कैंटीन संचालक द्वारा अनुज्ञाप्ति शुल्क/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया कैंटीन निविदा राशि का 5% प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। कैंटीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तरीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा अगर कैंटीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो गठित समिति द्वारा कैंटीन संचालक को सूचना देते हुये उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।  
**यह फोटो कॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।**
- 14— फोटो कॉपीयर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा एवं स्वयं ही उसका भुगतान भी करेगा।

- 15— फोटो कॉपीयर मशीन का संचालनकर्ता केन्टीन के रहते हुए खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों तथा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पाउच की बिक्री नहीं करेगा और ना ही कोई सामान रखेगा। उसी प्रकार केन्टीन संचालक भी खाद्य एवं पेय पदार्थों के अतिरिक्त कोई भी सामान की बिक्री नहीं करेगा और न ही रखेगा।
- 16— निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

**नोट:- लिफाफे के बाहर फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु दुकान कमांक 03 एवं 04 तथा कैंटीन का उल्लेख करना अनिवार्य है।**

- 17— निविदाएँ जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।
- 18— निविदाकर्ताओं का फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।
- 19— न्यूनतम बोली राशि प्रति माह की दर से
  - कैंटिन हेतु प्रारंभिक बोली मासिक राशि 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र)
  - फोटो कॉपियर मशीन संचालन हेतु सामने की दुकान कमांक 03 एवं 04 मासिक राशि 4000/- (चार हजार रुपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।
- 20— अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त किये जाने की अधिकार संचालन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

  
अध्यक्ष  
14/06/24

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ  
जिला शाखा जांजगीर-चांपा (छोगो)